राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना
वाद संख्या–03/2023
चन्दन शर्मा बनाम् छठू राम

यह वाद श्री चन्दन शर्मा, पिता–लक्ष्मी कान्त शर्मा, ग्राम–सिमरी, वार्ड संख्या–15, थाना–सिमरी बख्तियारपुर, जिला–सहरसा द्वारा श्री छठू राम, पिता–श्री भूमि राम, ग्राम–सिमरी वार्ड संख्या–10, थाना–सिमरी बख्तियारपुर, जिला–सहरसा वर्तमान वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–10, नगर परिषद् सिमरी बख्तियारपुर के विरुद्व बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(m) के तहत दिनांक–04.04.2008 के उपरांत दो से अधिक जीवित संतान के होने के आधार पर वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–10, नगर परिषद् सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा के पद से पदमुक्त करने हेतु लाया गया है।

2. वाद की सुनवाई के क्रम में वादी श्री चन्दन शर्मा का पक्ष उनके विद्वान अधिवक्ता श्री माधव झा द्वारा आयोग के समक्ष रखा गया, जबकि प्रतिवादी छठू राम की ओर से उनका पक्ष विद्वान अधिवक्ता श्री रंजीत चौबे द्वारा रखा गया। सुनवाई के क्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, सहरसा द्वारा अभिलेखों के सत्यापन को उपलब्ध कराने एवं जिला प्रशासन का पक्ष रखने हेतु मो0 अली अहमद अंसारी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सहरसा एवं एवं श्री दिलीप कुमार ध्वज, वरीय उप समाहर्त्ता, सहरसा तथा श्री संजय कुमार निराला, उप विकास आयुक्त, सहरसा को प्राधिकृत किया गया।

3. वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी को कुल पाँच संतान क्रमशः ममता कुमारी, मिथिलेश कुमार, नीतिश कुमार, रीद्धि कुमारी तथा हरिवंश कुमार उर्फ बालवीर हैं। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि संतानों की संख्या में किसी प्रकार का विवाद नहीं है। स्वयं प्रतिवादी द्वारा अपने अभ्यर्थी बायोडाटा में संतानों की संख्या पुत्र–03 एवं पुत्री–02 अंकित की गयी है। साक्ष्य स्वरूप उनके द्वारा प्रतिवादी के उक्त बायोडाटा का अवलोकन आयोग को कराया गया। आगे उनके द्वारा बताया गया कि प्रतिवादी का पाँचवा संतान दिनांक–04.04.2008 के उपरान्त पैदा हुआ है। अपने दावे के समर्थन में उनके द्वारा सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त आंगनबाड़ी केन्द्र, सिमरी बाजार, रजक टोला, आंगनबाड़ी केन्द्र सं0–235 में दर्ज हरिवंश कुमार उर्फ बालवीर, पिता–छठु राम, ग्राम+पोस्ट–सिमरी, वार्ड सं0–10, नगर परिषद–सिमरी बख्तियारपुर, जिला सहरसा के सर्वे पंजी में अंकित जन्म तिथि–29.05.2015 का अवलोकन आयोग को कराया गया। आगे उनके द्वारा मध्य विद्यालय, सिमरीबख्तियारपुर के प्रधानाध्यापक–सह–लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा प्रदत–नामांकन पंजी के आधार पर हरिवंश कुमार के जन्म तिथि संबंधी प्रवेश पंजी के छाया पत्र का अवलोकन कराया गया, जिसमें हरिवंश कुमार की जन्म तिथि–29.05.2015 अंकित है। आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि राशन कार्ड में हरिवंश कुमार उर्फ बालवीर की आयु 67 वर्ष अंकित की गयी है, जो संभवतः लिपिकिय भूलवश हुआ है। उनके द्वारा आगे आयोग को बताया गया कि श्री हरिवंश कुमार उर्फ बालवीर के आधार कार्ड (सं0–405525017870) में भी इनकी जन्म तिथि–29.05.2015 अंकित है। अंत में उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि जिला प्रशासन के समक्ष जाँच के दौरान श्री छठु राम द्वारा अपने पाँचवे पुत्र बालवीर का जन्म प्रमाण पत्र (सं0–842490), निर्गत तिथि–21.04.2015 में इनकी

जन्म तिथि–29.03.2008 दर्शायी गयी है, परन्तु तथ्य यह है कि उपाधीक्षक अनुमण्डलीय अस्पताल, सिमरी बख्तियारपुर से सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त वास्तविक जन्म पंजी में दिनांक–29.03.2008 से लेकर 29.05.2015 तक जन्म लिये गये बच्चों की सूची में बालवीर का नाम या इनके माता–पिता का नाम कहीं दर्ज नहीं है, जिससे स्पष्ट है कि बचाव में दिया गया जन्म प्रमाण पत्र फर्जी है। अतः उनके द्वारा प्रतिवादी को उनके पद से अविलम्ब हटाने की मांग की गयी।

4. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री रंजीत चौबे द्वारा प्रतिवादी का लिखित पक्ष आयोग के समक्ष रखा गया, जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि विचाराधीन वाद उनके मुवक्किल के विरूद्ध राजनीतिक विद्वेष के कारण राजनीतिक प्रचार हेतु दायर किया गया है। उनके द्वारा यह दावा किया गया है कि रजनी कुमारी बनाम् राज्य निर्वाचन आयोग एवं अन्य वाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के पूर्णपीठ द्वारा दिए गए, निर्णय के आलोक आयोग को इस मामले की सुनवाई का अधिकार नहीं है। आगे उनके द्वारा सरयुग मोची वाद (C.W.J.C. No. 4175/ 2022) में भी माननीय उच्च न्यायालय, पटना के न्याय–निर्णय के आलोक में आयोग को ऐसे मामलों में सुनवाई से रोक का उल्लेख किया गया है, जिसमें स्पष्ट साक्ष्यों का प्रभाव हो। अतः उनके द्वारा आयोग से अनुरोध किया गया है कि Unimpeachable साक्ष्य के अभाव में आयोग को वाद को निरस्त करते हुए, खारिज कर देना चाहिए तथा आयोग को Fishing & Roving जाँच से बचना चाहिए।

5. **जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, सहरसा द्वारा सत्यापन–सह–जॉच प्रतिवेदन पत्रांक–1106/पं0, दिनांक–10.07.2023, पत्रांक–1469/पं0, दिनांक–12.09.2023 तथा पत्रांक–1175/मु0को0 दिनांक–09.01.2024 द्वारा उपलब्ध कराया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सहरसा द्वारा जाँच प्रतिवेदन में अंकित प्रमुख तथ्य निम्नवत् हैः–**

"वाद संख्या–03/2023 में चन्दन शर्मा, पिता–श्री लक्ष्मीकान्त शर्मा, साकिन–सिमरी, वार्ड नं0–15, थाना–सिमरी बख्तियारपुर द्वारा वाद में उठाए गए आक्षेप के संदर्भ में दिनांक–15.06.2023 को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पारित आदेश के आलोक में इस कार्याला के पत्रांक–1075/पं0, दिनांक–04.07.2023 से प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर से राशन कार्ड संख्या–10122008005203900020, (2) इस कार्यालय के पत्रांक–1074/पं0, दिनांक–04.07.2023 के जिला प्राग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0 से सेविका–सह–लोक सूचना पदाधिकारी, आँगनबाड़ी केन्द्र, सिमरी बाजार रजक टोला आँगनबाड़ी केन्द्र संख्या–235, (3) इस कार्यालय के पत्रांक–1073/पं0, दिनांक–04.07.2023 से जिला शिक्षा पदाधिकारी, सहरसा से प्रधानाध्यापक–सह–लोक सूचना पदाधिकारी, म0वि0 सिमरी के पत्रांक–51, दिनांक–21.12.2022 से निर्गत पत्र एवं (4) इस कार्यालय के पत्रांक–1072/पं0, दिनांक–04.07.2023 से असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सहरसा से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिमरी बख्तियारपुर से श्री बालवीर, पिता–छठू राम, की निर्गत जन्म प्रमाण–पत्र 842490 जन्म प्रमाण–पत्र की सत्यता की जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई।

असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सहरसा ने पत्रांक–1279, दिनांक–08.07. 2023 द्वारा प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिमरी बख्तियारपुर का सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिमरी बख्तियारपुर ने प्रतिवेदित किए है कि

कार्यालय अभिलेख के आधार पर बालवीर, पिता–छठू राम जन्म तिथि–29.03.2008 प्रमाण–पत्र संख्या–842492, दिनांक–21.04.2015 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिमरी बख्तियारपुर से निर्गत नहीं किया गया है जबकि (2) जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा के पत्रांक–708–1/आई0सी0डी0एस0, दिनांक–10.07.2023 के साथ संलग्न सरिता कुमारी, सेविका भी0 केन्द्र– सिमरी रजक टोला केन्द्र संख्या–235, वार्ड संख्या–13, पंचायत–सिमरी, प्रखण्ड– सिमरी बख्तियारपुर ने श्री हरिवंश कुमार उर्फ बालवीर, पिता–श्री छठू राम, ग्राम+पोस्ट–सिमरी, वार्ड संख्या–10 जन्मतिथि–29.05.2015 दर्शाया गया है। (3) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर के पत्रांक–742, दिनांक–10.07.2023 दोनों हीं सत्यापन प्रतिवेदन में श्री हरिवंश कुमार उर्फ बालवीर, पिता–श्री छठू राम, ग्राम+पोस्ट–सिमरी, वार्ड संख्या–11 जन्मतिथि–29.05.2015 है तथा (4) जिला शिक्षा पदाधिकारी, सहरसार के पत्रांक–875(स्था0), दिनांक–08.07.2023 द्वारा श्री हरिवंश कुमार उर्फ बालवीर, पिता–श्री छठू राम, ग्राम+पोस्ट–सिमरी, वार्ड संख्या–10 जन्मतिथि–29.05.2015 दर्शाया गया है (वर्णित उक्त चारों सत्यापन प्रतिवेदन की प्रति संलग्न)।

अतः श्री हरिवंश कुमार उर्फ बालवीर, पिता–श्री छठू राम, ग्राम+पोस्ट–सिमरी के संदर्भ में असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सहरसा, 842490 दिनांक–21.04.2015 सत्यापन प्रतिवेदन जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिमरी बख्तियारपुर से निर्गत नहीं किया गया है तथा (2) जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा, (3) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर (4) जिला शिक्षा पदाधिकारी, सहरसा से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन का जन्मतिथि–29.05.2015 दर्शाया गया है।" (पत्रांक–1106/पं0, दिनांक–10.07.2023)

"रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु)–सह–सांख्यिकी पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर ने अपने पत्रांक–03, दिनांक–03.01.2024 के द्वारा प्रतिवेदित किया है कि उक्त वाद के प्रतिवादी श्री छठू राम द्वारा नगर परिषद्, सिमरी बख्तियारपुर कार्यालय से जन्म प्रमाण–पत्र संख्या–B-2023-10-90427-000309, दिनांक–21.08.2023 निर्गत कराया गया था। उक्त निर्गत जनम प्रमाण–पत्र के संबंध में वादी श्री चन्दन शर्मा द्वारा परिवाद दिया गया। निर्गत जन्म प्रमाण–पत्र की जाँच की गई, जिसमें प्रमाण–पत्र बनाने के क्रम में गलत शपथ–पत्र तथा गलत जानकारी दिए जाने संबंधी तथ्य सामने आए।

जाँच के पश्चात् प्रमाण–पत्र में जन्म तिथि के गलत सूचना के आधार पर उक्त जन्म प्रमाण–पत्र को रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु)–सह–सांख्यिकी पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर के द्वारा रद्द कर दिया गया है इन्होंने जाँच से संबंधित सभी साक्ष्य संलग्न किया है।

मंतव्यः–सुनवाई के क्रम में वादी द्वारा दिए गस लिखित एवं रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु)–सह–पखण्ड सांख्यिकी पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर द्वारा गलत शपथ–पत्र एवं पुत्र के जन्मतिथि से संबंधित सूचना नगर परिषद् कार्यालय, सिमरी बख्तियारपुर को दिए जाने के आधार पर उक्त जन्म प्रमाण–पत्र निर्गत किया गया था, जिसे रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु)–सह–पखण्ड सांख्यिकी पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर द्वारा जाँच के उपरांत रद्द कर दिया गया है। प्रतिवादी श्री छठू राम उपस्थित हुए, परन्तु किसी भी प्रकार का लिखित बयान देने से इंकार किया। जिस कारण प्रतिवादी श्री छठू राम का पक्ष प्राप्त नहीं हो सका।"

6. आयोग द्वारा विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों/तर्कों तथा जिला निर्वाचन

पदाधिकारी (नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, सहरसा का प्रतिवेदन तथा संदर्भित न्याय–निर्णयों का अवलोकन किया गया। उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों एवं विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों के आलोक में आयोग का इस वाद के संबंध में मत निम्नवत है:–

"आयोग द्वारा यह पाया गया कि इस वाद/विवाद का मूल कारण वादी का यह दावा है कि श्री छठू राम(वर्तमान वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–10, सिमरी बख्तियारपुर नगर परिषद्, सहरसा) द्वारा दिनांक–04.04.2008 के उपरांत दो से अधिक जीवित संतानों के कारण बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(m) के तहत चुनाव पूर्व अयोग्यता होने के बावजूद गलत शपथ–पत्र एवं सूचना के आधार पर वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–10, सिमरी बख्तियारपुर नगर परिषद्, सहरसा के पद पर निर्वाचित हो गए।

आयोग द्वारा यह पाया गया कि संतानों की संख्या के संबंध में वादी एवं प्रतिवादी एकमत हैं। प्रतिवादी द्वारा स्वयं अभ्यर्थी बायोडाटा में अपने संतानों की संख्या–05 (तीन पुत्र एवं दो पुत्री) घोषित की है। विवाद प्रतिवादी के संतानों के जन्मतिथि अर्थात् Cutt of Date- 04.04.2008 के उपरांत जन्म लेने अथवा उसके पूर्व जन्म लेने को लेकर है।

वादी द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों में आँगनबाड़ी केन्द्र संख्या–235 में प्रतिवादी छठू राम के अंतिम संतान हरिवंश कुमार उर्फ बालवीर की जन्मतिथि–29.05.2015 अंकित पाई गई। इसी प्रकार मध्य विद्यालय सिमरी, सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा के नामांकन पंजी में भी हरिवंश कुमार उर्फ बालवीर की जन्मतिथि–29.05. 2015 अंकित है। राशन कार्ड में अंकित उसकी आयु 67 वर्ष नहीं हो सकती, क्योंकि स्वयं उसके पिता अर्थात् प्रतिवादी की आयु 67 वर्ष पूरी नहीं हो रही है, क्योंकि उनके जन्मतिथि–01.01.1979 स्वयं छठू राम के द्वारा नामांकन–पत्र में अंकित की गई है।

वादी द्वारा दिए गए उपरोक्त साक्ष्यों की पुष्टि/सत्यापन जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, सहरसा के प्रतिवेदनों से होती है।

अपने बचाव में प्रतिवादी द्वारा दिया गया। अपने अंतिम संतान हरिवंश कुमार उर्फ बालवीर का जन्म प्रमाण–पत्र संख्या–842490, दिनांक–21.04.2015 को फर्जी पाया गया, क्योंकि प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिमरी बख्तियारपुर द्वारा यह सत्यापित किया गया है कि उक्त जन्म प्रमाण–पत्र उनके कार्यालय से निर्गत नहीं है। धोखाधड़ी का प्रथम प्रयास निष्फल होने के पश्चात् उनके द्वारा नगर परिषद्, सिमरी बख्तियारपुर के कार्यालय से जन्म प्रमाण–पत्र संख्या–B-2023-10-90427-000309**, दिनांक–21.08.2023 निर्गत कराया गया था, जिसे जाँचोपरांत रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु)–सह–सांख्यिकी पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर के द्वारा रद्द कर दिया गया है। उक्त तथ्यों से यह प्रमाणित होता है कि छठू राम द्वारा जान–बूझकर गलत शपथ–पत्र एवं सूचना के आधार पर नामांकन–पत्र दाखिल किया गया तथा निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लिया गया, जबकि बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(m) के तहत अंतिम संतान हरिवंश कुमार उर्फ बालवीर की जन्मतिथि–29.05.2015 से ही वे निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने हेतु स्वयमेव(Automaticaly) अयोग्य हो गए थे।**

प्रतिवादी के इस तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि इस वाद को सुनने हेतु आयोग के समक्ष Unimpeachable Material/**साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। प्रतिवादी के अंतिम संतान के जन्मतिथि के प्रविष्टि**

आँगनबाड़ी केन्द्र एवं मध्य विद्यालय की नामांकन–पंजी में काफी पहले दर्ज की गई है। उक्त दोनों अभिलेख Public Document है। आँगनबाड़ी केन्द्र में अंकित जन्मतिथि तो प्राथमिक साक्ष्य के रूप में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त साक्ष्यों में से एक है, क्योंकि इसकी प्रविष्टि बच्चों के जन्म के साथ ही स्थानीय आँगनबाड़ी केन्द्रों पर उनके कार्मिकों द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त फर्जी जन्म प्रमाण–पत्र के आधार पर अपना बचाव करना तथा बचाव के निष्फल होने पर पुनः गलत शपथ–पत्र के आधार पर जन्म प्रमाण–पत्र निर्गत कराना इनके सत्य–निष्ठा पर प्रश्नचिन्ह् खड़ा करता है। अतएव रजनी कुमारी वाद अथवा सरयुग मोची वाद में पारित न्याय–निर्णय से यह वाद आच्छादित नहीं है।

(क) उपर्युक्त सभी स्थिति से स्पष्ट है कि श्री छठू राम को दिनांक–04.04.2008 के उपरांत दो से अधिक जीवित संतान रहने के कारण चुनाव पूर्व अयोग्यता का धारण संवीक्षा की तिथि को करते थे, इसके बावजूद वे तथ्यों को छुपाकर गलत शपथ–पत्र एवं अंतिम संतान के गलत जन्म प्रमाण–पत्र के आधार पर वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–10, नगर परिषद् सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा के पद पर निर्वाचित होने में कामयाब रहें। इस प्रकार बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(m) के तहत अर्हता प्राप्त नहीं रहने के कारण प्रतिवादी श्री छठू राम को बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(m) सहपठित धारा–18(2) तहत प्रदत्त शक्तियों के अधीन अयोग्य/निरर्हित घोषित करते हुए, तत्काल प्रभाव से वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–10, नगर परिषद् सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा के पद से पदमुक्त किया जाता है। इस आदेश के साथ ही वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–10, नगर परिषद् सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा का पद रिक्त समझा जाएगा तथा नियमानुसार इस पर निर्वाचन की कार्रवाई सम्पन्न की जाएगी।

(ख) जिला पदाधिकारी सारण सहरसा द्वारा छठू राम के विरूद्ध गलत हलफनामा एवं तथ्य छुपाने हेतु बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–447 तथा अन्य सुसंगत धाराओं के तहत नियमानुसार विधिक कार्रवाई हेतु जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) एवं जिला दण्डाधिकारी, सहरसा के रूप में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग किया जाना वांछनीय है।

इस आदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।
सभी संबंधित को सूचित कर दिया जाये।
अद्योहस्ताक्षरी द्वारा लेखापित एवं संशोधित।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
09.03.2024
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
09.03.2024
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–03/2023 1178 पटना, दिनांक–9.3.24

प्रतिलिपि–अपर मुख्य सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–03/2023 1178 पटना, दिनांक–9.3.24

प्रतिलिपि–जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, सहरसा/उप निर्वाचन पदाधिकारी सहरसा सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उप निर्वाचन पदाधिकारी सहरसा को आदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रति का तामिला वादी एवं प्रतिवादी को 24 घंटे के अन्दर कराते हुए तामिला प्रतिवेदन लौटती डाक/ई–मेल से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

09/3/24
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–03/2023 1178 पटना, दिनांक–9.3.24

प्रतिलिपि–श्री चन्दन शर्मा, पिता–लक्ष्मी कान्त शर्मा, ग्राम–सिमरी, वार्ड संख्या–15, थाना–सिमरी बख्तियारपुर, जिला–सहरसा एवं श्री छठू राम, पिता–श्री भूमि राम, ग्राम–सिमरी वार्ड संख्या–10, थाना–सिमरी बख्तियारपुर, जिला–सहरसा वर्तमान वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–10, नगर परिषद् सिमरी बख्तियारपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

09/3/24

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–03/2023 1178 पटना, दिनांक–9.3.24

प्रतिलिपि–श्री संजीव कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर, (निर्वाचन शाखा), राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09/3/24

विशेष कार्य पदाधिकारी